दिनांक : 22.10.2018

श्रीमान् निर्वाचन अधिकारी,
अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र,
अजमेर

विषयः **आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के नोटिस का स्पष्टीकरण ।**

महोदय,

आपके द्वारा जारी उक्त विषयान्तर्गत नोटिस अस्पष्ट, असत्य एवं भ्रामक तथ्यो पर आधारित है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मे किसी विशिष्ट कृत्य या आरोप का वर्णन नोटिस मे आपके द्वारा नही किया गया है । इसी कारण नोटिस प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है ।

समाचार पत्रो के अनुसार नोटिस जारीकर्ता ही शिकायतकर्ता प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति मे आपके द्वारा ही नोटिस जारी किया जाना और उन पर सुनवाई प्राकृतिक न्याय का प्रथम दृष्टया उल्लघंन है ।

समाचार पत्र मे प्रकाशित सूचना अनुसार एक ही तथाकथित कृत्य के लिये एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाना एवं अन्य जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया जाना प्रथम दृष्टया भेदभाव है ।

उक्त आधारो पर आपके द्वारा जारी नोटिस प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है, फिर भी आपके नोटिस पर मेरा प्रतिउत्तर निम्न प्रकार है :

1. अधोहस्ताक्षरकर्ता पटेल मैदान अजमेर मे रावण दहन के कार्यक्रम मे जनसामान्य की हैसियत से विगत 25 वर्षो से उपस्थित होता आ रहा है एवं उक्त दिवस भी जनसामान्य की हैसियत से उक्त समारोह मे उपस्थित था ।
2. उक्त दिवस समारोह मे उपस्थिति के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दल विशेष का झण्डा, प्रतीक चिन्ह, बैनर इत्यादि धारण किये हुए नही था, और न ही इनका अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कोई प्रर्दशन उपस्थित जनसमूह के समक्ष किया गया । इस दिवस अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समारोह के दौरान कोई वोट अपील, भाषण, पार्टी अथवा उम्मीदवार के पक्ष मे कोई राजनीतिक भाषण नही दिया । अधोहस्ताक्षरकर्ता विगत 13 वर्षो से जनप्रतिनिधि है तथा उसके द्वारा दशहरा महोत्सव अथवा रावण दहन कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का कोई सम्बोधन अथवा भाषण नही दिया जाता है । समारोह स्थल पर न तो कोई मंच था, ना ही वास्तव मे अधोहस्ताक्षरकर्ता ऐसे किसी मंच पर मंचासीन था, तो ऐसी स्थिति मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के मंचासीन होने या मंचासीन होने का प्रयास करने का कोई प्रश्न नही उठता है ।
3. आदर्श आचार संहिता का उददेश्य जन सामान्य मे भयमुक्त (FREE & FAIR ELECTION PROCESS) चुनाव सम्पादन कराने का है, न कि प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के नाम पर भययुक्त वातावरण उत्पन्न करने का है ।
4. आदर्श आचार संहिता कहीं भी धार्मिक आस्था व्यक्त करने मे रोक नही लगाती, इस सम्बन्ध मे "आदर्श आचार संहिता विधानसभा आम चुनाव, निर्वाचन विभाग, राजस्थान" जारी निर्देश के पृष्ठ संख्या 26 पर उद्धरित एवं निर्वाचन आयोग पत्र

Scanned with CamScanner

संख्या 437/6/98/PLNIII/DT10-01-1998 के उल्लंघन मे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कोई कृत्य नही किया गया और न ही कोई प्रयास किया गया है ।

5. यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता आदर्श आचार संहिता की पालना का सदैव पक्षधर रहा है, वह स्वयं 3 बार उम्मीदवार रहकर जनप्रतिनिधि एवं विधानसभा चुनावो मे 5 बार उम्मीदवारो का निर्वाचन अभिकर्ता रहा है, जिसे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानो की भलीभांति जानकारी है तथा उसे किसी भी प्रकार के उल्लंघन के संबंध पूर्व मे कोई नोटिस जारी नही किया गया है । अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक स्तर पर आदर्श आचार संहिता की पालना को तैयार एवं तत्पर रहा है, तथाकथित रूप से मौके पर समारोह के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दुव्यर्वहार अथवा उसका प्रयास अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नही किया गया है अन्यथा भी आपके द्वारा वर्णित एवं कपोलकल्पित कृत्य का प्रयास आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी मे नही आता है।

6. आपके द्वारा उक्त नोटिस प्रथम दृष्टया अधोहस्ताक्षरकर्ता की व्यक्तिगत एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को नुकसानकारित करने के उदेश्य से जारी किया जाना प्रकट होता है ।

7. आपके द्वारा उक्त नोटिस अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसके निवास पर जारी करना चाहिये था लेकिन आपके द्वारा उक्त नोटिस नगर निगम, अजमेर के पते पर सम्बोधित करना यह दर्शित करता है कि आप अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार बचाव के युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करना चाहते है । आपके द्वारा नोटिस मे एक ओर तो यह तथ्य वर्णित किया गया है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता महापौर की हैसियत से समारोह मे आमंत्रित नही था, वहीं दूसरी ओर आपके द्वारा महापौर के नाम नोटिस जारी करना न्यायोचित नही कहा जा सकता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निगम अजमेर मे दिनांक 19.10.2018 से 21.10.2018 तक दशहरा, शनिवार–रविवार का अवकाश है तथा कार्यालय बन्द है ।

8. समाचार पत्रों मे आपके द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार मेरे विरूद्ध नोटिस जारी किया जाना वर्णित है, परन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 21.10.2018 को समय सांय 4.30 बजे तक नोटिस प्राप्त न होने पर एक ई–मेल अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ero100.ajmer@gmail.com पर आपको प्रेषित किया गया। उसके पश्चात् आज दिनांक 22.10.2018 को समय 11.45 बजे नोटिस अधोहस्ताक्षरकर्ता को तामील करवाया जाना भी आपकी बदनियती को दर्शित करता है जो कि प्राकृतिक न्याय की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः स्पष्टीकरण प्रस्तुत है, आशा है उक्त तथ्यो के आधार पर आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध जारी उक्त नोटिस की कार्यवाही को निरस्त (DROP) करने के आदेश जारी करना न्यायहित मे है ।

भवदीय

धर्मेन्द्र गहलोत

(धर्मेन्द्र गहलोत)
221, प्रगति नगर,
कोटड़ा, अजमेर

Scanned with CamScanner